न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल आर संख्या 290/2020/टोंक

नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोतीलाल, जाति कीर, निवासी दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक।

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, देवली हाल दूनी जिला टोंक।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, टोंक दिनांक 27.12.2019 जो प्रकरण संख्या 20/2018 बउनवानी नरेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार में पारित किया गया।

———————————————

उपस्थित अभि0:– श्री गिरिश शर्मा (अपीलांट अभि0)

श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांकः–29.04.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.37 हे0 ग्राम मुण्डिया खुर्द तहसील देवली जिला टोंक पूर्ण रूप से दयाला पुत्र जगदीश माली की खातेदारी की भूमि थी जिसमें से 0.09 हे0 भूमि बीसलपुर परियोजना हेतु भूमि अवाप्त कर ली गई। शेष भूमि 0.28 हे0 का विक्रय पत्र वर्तमान अपीलांट के पक्ष में उसके द्वारा निस्पादित कर लिया गया। अपीलांट के नाम नामातंरण दर्ज किया गया। उसके पश्चात खसरा नम्बर 1024 में से ही 0.01 हे0 भूमि एनएचए द्वारा अवाप्त कर ली गई। जिसका नामातंरण संख्या 591 दिनांक 11.08.2011 को तस्दीक कर लिया गया। अपीलांट को बारानी भूमि का मुआवजा दिया गया था। जिसके विरूद्ध उसके द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर टोंक (आरबी ट्रेटर) के यहां एनएच एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जो उनके द्वारा स्वीकार करते हुए सिंचित भूमि का मुआवजा देने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार देवली द्वारा पूर्व में स्वीकृत नामातंरण संख्या 591 एव 323 , 0.28 हे0 में से 0.01 हे0 का नामातंरण नहीं खोल कर 0.10 हे0 का नामातंरण खोलते हुए अपीलांट की भूमि में से भूमि कम करते हुए 0.17 हे0 भूमि का नामातंरण संख्या 904 दिनांक 29.08.2017 को तस्दीक कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने ए0डी0एम न्यायालय टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो कि उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.12.2019 से खारिज कर दी गई। अतः उक्त अपील तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकृत नामातंरण संख्या दिनांक 29.08.2017 एवं अपील में ए0डी0एम न्यायालय टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2019 के निर्णय के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। उक्त अपील गलत गणना एवं ए0डी0एम टोंक के नॉनस्पिकिंग ऑॅर्डर से की जा रही है।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा एक प्रार्थना पत्र रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल प्रस्तुत किया। अपील के साथ ए0डी0एम न्यायालय टोंक प्रकरण संख्या 20/2018 निर्णय दिनांक 27.12.2019 तथा नामातंरण संख्या 904 भूमि अवाप्ति से संबंधित अवार्ड दिनांक 28.06.2010 प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:40 IST
Reason: SelfAttested

अपील न्यायालय हाजा में प्राप्त करने पर क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पो0 को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम को देखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.12.2019 को जारी किया गया था। वर्तमान अपील दिनांक 24.02.2020 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। अपील अंदर मियाद अवधि प्रतीत होती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 17 रेवन्यु कोर्टस मैन्युअल का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अनुसार नामातंरण संख्या 904 दिनांक 29.08.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राप्त करते ही न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जाएगी। अभी फोटोस्टेट प्रति न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायालय उचित मानता है कि अपीलांट द्वारा इस संदर्भ में प्रयास किया जा रहा है। अपील निस्तारण के समय उक्त नामांतरण की प्रतिलिपी प्राप्त की जा सकती है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र द्वारा स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की पालना एवं प्रभाव को स्थगित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार देवली द्वारा नामातंरण संख्या 904 पूर्व में ही दिनांक 29.08.2017 को खोला जा चुका है। ए0डी0एम न्यायालय द्वारा तहसीलदार के निर्णय को ही पुष्ट किया गया है। नए सिरे से कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। ऐसी अवस्था में स्थगन प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपीलांट कोई राहत प्राप्त नहीं कर सकता है।

बहस सुनी गई, अधीनस्थ न्यायालय के दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस में मुख्य रूप से अपीलांट द्वारा यह बताया गया कि वादग्रस्त खसरा नम्बर ग्राम मुण्डिया खुर्द तहसील देवली में स्थित है। उक्त भूमि का रकबा 0.37 हे0 था बीसलपुर अवाप्ति संवत 2060–63 के बाद दिनांक 28.06.2010 का अवार्ड जारी किया गया था। जिससे 0.09 हे0 भूमि बीसलपुर परियोजना के लिए अवाप्त की गई है। अब कुल भूमि 0.28 हे0 शेष रह गई है। उक्त भूमि के खातेदार से शेष भूमि वर्तमान अपीलांट ने रजिस्टर्ड सैल डीड से क्रय की गई है। एनएचएआई के अवार्ड से उक्त बची हुई भूमि 0.28 हे0 में से 0.01 हे0 भूमि एनएचएआई में अवाप्त हो गई। अतः अब अपीलांट की भूमि 0.27 हे0 बचनी चाहिए थी। एनएचएआई द्वारा उक्त अवार्ड अपीलांट की भूमि को बंजर मानते हुए मुआवजा दिया गया था। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा आरबी ट्रेटर जिला कलक्टर टोंक के यहां अपील की जिनके द्वारा उनका प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2016 को स्वीकार कर लिया गया था।

राजकीय अभि0 ने बहस में बताया कि नामातंरण नियम और प्रक्रिया से खोला गया था तथा गणना का यदि कोई मामला है तो अपीलांट सक्षम न्यायालय जायें।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुख्य विवाद आरबी ट्रेटर जिला कलक्टर टोंक के आदेश दिनांक 23.09.2016 और उस आदेश के परिणाम स्वरूप तहसीलदार देवली द्वारा खोले गए नामातंरण संख्या 904 दिनांक 29.08.2017 बाबत है। आरबी ट्रेटर के प्रकरण संख्या 104/2011 निर्णय दिनांक 23.09.2016 का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में वर्तमान अपीलांट नरेन्द्र पुत्र मोतीलाल जाति कीर निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक, प्रार्थी है। निर्णय के प्रथम पेरा में यह अंकित किया है ''प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण में ग्राम मुण्डिया खुर्द तहसील देवली की भूमि खसरा नम्बर 1024 में 1000 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा किस्म बंजर भूमि के आधार पर निर्धारण किया है। 900 वर्गमीटर का मुआवजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:40 IST
Reason: SelfAttested

बीसलपुर परियोजना देवली के नाम तथा 100 वर्गमीटर का मुआवजा प्रार्थी के नाम अवार्ड पारित किया गया है। जबकि धारा 3बी प्रार्थी के नाम है। अतः अवार्ड दिनांक 28.06.2010 को निरस्त कर 1000 वर्गमीटर का मुआवजा दिलवाया जायें।'' निर्णय के अंतिम पैरा में यह अंकन किया है ''**अतः उक्त भूमि खसरा नम्बर 1024 वाक्य ग्राम मुण्डिया खुद रकबा 1000 वर्गमीटर जो कमाण्ड क्षैत्र में स्थित होने से असिचिंत दर के बजाए सिचिंत दर से 155.98 प्रति वर्गमीटर से बीसलपुर परियोजना से मुआवजा दिया जाना प्रतित होता है।**'' नामातंरण संख्या 904 का अवलोकन किया गया। अपीलांट नरेन्द्र पुत्र मोतीलाल के नाम 1024 खसरा नम्बर अंकित है। क्षैत्रफल 0.27 हे0 बताया गया है। भूमि की किस्म बंजर बताई गई है तथा कॉलम नम्बर 9 में भूमि एनएचआई के नाम अंकित हुई। खसरा नम्बर 1345/1024 रकबा 0.10 हे0 किस्म गैर मुमकिन सड़क दर्ज की गई है। शेष रकबा 0.17 हे0 किस्म बंजर भूमि अपीलांट के नाम दर्ज की गई है। अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है व स्वयं आरबी ट्रेटर जिला कलक्टर टोंक के समक्ष उपस्थित होकर मुआवजा राशि भूमि की किस्म के अनुसार करने हेतु मांग करता है। आरबी ट्रेटर के आदेश से स्पष्ट है कि अपीलांट की 1000 वर्गमीटर भूमि का सिचिंत दर के आधार पर मुआवजा तय किया गया था। उक्त आदेश से पूर्व उसकी 100 वर्गमीटर भूमि ही अवाप्त इस खसरा नम्बर 1024 में की तथा शेष 900 वर्गमीटर भूमि बीसलपुर को दिया जाना बताया गया। जबकि भूमि बीसलपुर के नाम अवाप्त न होकर आरक्षित की थी। आरबी ट्रेटर के आदेश से उक्त भूमि 1000 वर्गमीटर मुआवजा सिचिंत दर से निर्धारित कर दिया गया। 1 हे0 में 10000 वर्गमीटर होते है तथा 1000 वर्गमीटर बराबर 0.10 हे0 ही होता है। अतः तहसीलदार द्वारा नामांतरण स्वीकृत करते वक्त कोई गलती नहीं किया जाना पाया जाता है और उसी आधार पर ए0डी0एम न्यायालय टोंक द्वारा उचित निर्णय दिया गया। अतः न्यायालय तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकृत नामातंरण संख्या 904 दिनांक 29.08.2017 एवं ए0डी0एम टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2019 को अपहोल्ड (यथावत) रखे जाना उचित मानता है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती है।

कियात्मक आदेश

न्यायालय तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकृत नामातंरण संख्या 904 दिनांक 29.08.2017 एवं ए0डी0एम टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2019 को अपहोल्ड(यथावत) रखे जाते है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:40 IST
Reason: SelfAttested